नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 244
दि. 07.06.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

अंडमान के गहरे समुद्र से निकली नई ऊर्जा की उम्मीद, प्राकृतिक गैस की खोज ने आत्मनिर्भर भारत के सपने को दी नई ताकत

भारत की ऊर्जा जरूरतों को स्वदेशी संसाधनों के बल पर पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। अंडमान सागर की गहराइयों में प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिलने से देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। लंबे समय से समुद्र के भीतर छिपे हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज में जुटी सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को इस बार ऐसी सफलता मिली है, जिसे केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। अंडमान के पूर्वी तट के निकट गहरे समुद्री क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद ऊर्जा क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और इसे देश को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस उपलब्धि पर ऑयल इंडिया लिमिटेड को बधाई देते हुए कहा कि यह खोज भारत के महत्वाकांक्षी डीप-वाटर एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक गैस का यह नया भंडार अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित विजयपुरम-3 एक्सप्लोरेटरी कुएं में मिला है। यह कुआं समुद्र तल से लगभग 355 मीटर गहरे पानी में स्थित है, जहां तक पहुंचना और सफल अन्वेषण करना अपने आप में एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि माना जाता है।

विशेषज्ञों के अनुसार समुद्र के भीतर गहरे और अति-गहरे क्षेत्रों में तेल एवं गैस की खोज सामान्य प्रक्रिया नहीं होती। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक, उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग क्षमता और बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। ऐसे में अंडमान सागर में मिली यह सफलता भारत की तकनीकी दक्षता और ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती क्षमता का भी प्रमाण मानी जा रही है। इससे पहले सितंबर 2025 में विजयपुरम-2 कुएं में भी प्राकृतिक गैस की खोज हुई थी। अब विजयपुरम-3 में मिली सफलता ने यह संकेत दिया है कि अंडमान बेसिन में हाइड्रोकार्बन संसाधनों की संभावनाएं पहले के अनुमान से कहीं अधिक हो सकती हैं।

ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित इस अभियान के तहत अब तक तीन अन्वेषण कुओं की खुदाई की जा चुकी है। इनमें से दो कुओं में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी की पुष्टि होना एक महत्वपूर्ण

संकेत माना जा रहा है। इससे वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों को यह विश्वास मिला है कि अंडमान क्षेत्र में भविष्य में बड़े पैमाने पर तेल और गैस के भंडार मिलने की संभावना मौजूद है। यही कारण है कि इस खोज को केवल एक कुएं की सफलता के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे पूरे क्षेत्र की संभावनाओं को खोलने वाली उपलब्धि माना जा रहा है।

भारत लंबे समय से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयातित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों का सीधा असर देश की ऊर्जा लागत पर पड़ता है। ऐसे में घरेलू स्तर पर तेल और गैस के नए स्रोतों की खोज राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुकी है। इसी सोच के तहत केंद्र सरकार ने समुद्र के भीतर छिपे ऊर्जा संसाधनों की खोज को नई गति दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर घोषित 'समुद्र मंथन मिशन' इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जाता है। इस मिशन का उद्देश्य भारत के अपतटीय क्षेत्रों में गहरे और अति-गहरे समुद्री इलाकों में बड़े पैमाने पर अन्वेषण गतिविधियां संचालित करना है। सरकार का लक्ष्य उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां भविष्य में बड़े हाइड्रोकार्बन भंडार विकसित किए जा सकें। अंडमान में मिली यह सफलता उस मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि शुरुआती उत्पादन परीक्षणों के दौरान लगातार फ्लेयरिंग के माध्यम से प्राकृतिक गैस की मौजूदगी का संकेत मिला। फ्लेयरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें परीक्षण के दौरान प्राप्त गैस को सुरक्षित तरीके से जलाकर उसके प्रवाह और मात्रा का आकलन किया जाता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त प्रारंभिक परिणामों ने वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को उत्साहित किया है। हालांकि अभी विस्तृत मूल्यांकन और विश्लेषण का कार्य जारी है, लेकिन शुरुआती संकेत अत्यंत सकारात्मक बताए जा रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि लगातार मिल रही सफलताओं से अंडमान क्षेत्र में अन्वेषण गतिविधियों को और गति मिलेगी। अब तक देश के पश्चिमी और पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित रहा है, लेकिन अंडमान बेसिन में मिले इन परिणामों ने इस क्षेत्र को भी ऊर्जा मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान दिला दिया है। यदि आगे के सर्वेक्षण और ड्रिलिंग गतिविधियों में भी इसी प्रकार के परिणाम मिलते हैं, तो अंडमान भारत के प्रमुख गैस उत्पादक क्षेत्रों में शामिल हो सकता है।

ऑयल इंडिया लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल प्राप्त आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है। भूवैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ विभिन्न नमूनों तथा परीक्षण परिणामों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्षेत्र में गैस की वास्तविक मात्रा कितनी है और व्यावसायिक उत्पादन की संभावनाएं कितनी मजबूत हैं। कंपनी का कहना है कि यह विश्लेषण भविष्य की ड्रिलिंग और अन्वेषण रणनीतियों को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंडमान क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस उपलब्ध होती है तो इसका लाभ केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। इससे देश के औद्योगिक विकास, बिजली उत्पादन, उर्वरक उद्योग और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। प्राकृतिक गैस को अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है और सरकार पहले से ही गैस आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य कर रही है। ऐसे में घरेलू गैस उत्पादन में वृद्धि देश के ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम को भी मजबूती प्रदान कर सकती है।

अंडमान सागर में मिली यह खोज ऐसे समय में सामने आई है जब भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और नए ऊर्जा स्रोतों की पहचान करने के लिए अनेक पहल कर रही है। विजयपुरम-3 कुएं में प्राकृतिक गैस की खोज इस दिशा में एक उत्साहजनक उपलब्धि बनकर उभरी है।

तीन में से दो कुओं में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी मिलने के बाद अंडमान का अपतटीय क्षेत्र अब देश के सबसे संभावनाशील ऊर्जा क्षेत्रों में गिना जाने लगा है। आने वाले वर्षों में यहां और अधिक अन्वेषण गतिविधियां होने की संभावना है। यदि भविष्य के परीक्षण और सर्वेक्षण भी सकारात्मक परिणाम देते हैं तो अंडमान भारत की ऊर्जा कहानी का नया अध्याय लिख सकता है। फिलहाल इस खोज ने देश को यह भरोसा जरूर दिया है कि समुद्र की अथाह गहराइयों में छिपी ऊर्जा संपदा भारत के आत्मनिर्भर भविष्य को नई शक्ति देने की क्षमता रखती है।

आपदाओं के बाद जिम्मेदारी किसकी होती है? दक्षिण कोरिया से नैतिकता और त्याग की परंपरा सीखी जानी चाहिए

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। हम स्वदेशी की बातें करके और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके खोखली देशभक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब हमारी देशभक्ति की असली परीक्षा का समय आता है, तो ये पाखंडी देशभक्त पूरी तरह विफल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि विदेशों में भी हमारे जैसे पुल गिरते हैं, मॉल में आग लगती है और नावों के पलटने से बच्चे मर जाते हैं। लेकिन हमारे लोग वहां के नेताओं और सत्ताधारियों की तरह दृढ़ चरित्र नहीं दिखा पाते।

भारत में जब कोई दुखद घटना घटती है, तो कुछ दिनों की गहमागहमी के बाद हम उसे भूल जाते हैं। न कोई इस्तीफा देता है, न कोई सत्ता खोता है, न ही कोई सख्त कार्रवाई होती है। भारत में नैतिक आधार पर इस्तीफे की घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन वे अतीत की बात हैं। जब हम आसानी से त्रासदियों और उनके आरोपियों को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या एक राष्ट्र के रूप में, एक जनता के रूप में, यही हमारा चरित्र है? हम सभी को इसका जवाब देना होगा। इसलिए, जब भी ऐसी गंभीर घटनाएं होती हैं और लोगों की मौत होती है, तो कड़ी जांच के आदेश जारी किए जाते हैं। लेकिन कड़ी जांच आखिर होती क्या है? अब समय आ गया है कि भर्ती परीक्षाओं के पेपरों की तरह बार-बार दिए जाने वाले ऐसे कड़े जांच आदेशों की भी समितियों द्वारा कड़ी जांच करनी पड़ेगी। क्योंकि अंत में, इन कड़ी जांचों पर भी पानी फेरना पड़ेगा।

चलिए विदेश की बात करते हैं। 16 अप्रैल 2014 को, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के डैनवॉन हाई स्कूल के 16-17 साल के तीन लड़के-लड़कियां पिकनिक के लिए जेजु द्वीप जा रहे थे। 300 से ज़्यादा छात्र-छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ एमवी सोल नाम की नौका पर सवार हुए। माहौल खुशनुमा था, खूब हंसी-मजाक चल रहा था। नौका सुबह 8:49 बजे रवाना हुई। अचानक नौका ने एक तीखा मोड़ लिया और कुछ ही मिनटों में एक तरफ झुकने लगी और डूबने लगी। चारों तरफ चीख-पुकार मच गई। केबिन में रहने के निर्देश दिए जाने के कारण बच्चों को भागने का मौका नहीं मिला। नौका में कुल 304 लोग सवार थे, जिनमें से 250 छात्र-छात्राएं थे। नौका के समुद्र में डूबने पर पूरे दक्षिण कोरिया में शोक की लहर दौड़ गई। इन सब का नतीजा क्या निकला? अक्षम कप्तान, जो नाव डुबाने के बाद भाग गया था, को 36 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। बाकी 14 चालक दल के सदस्यों को भी पांच से 30 साल तक की जेल की सजा मिली। नाव चलाने वाली कंपनी का मालिक भाग गया और कुछ दिनों बाद उसका सड़ा हुआ शव मिला। पूरे दक्षिण कोरियाई तटरक्षक बल को भंग कर दिया गया। और सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षा मंत्रालय नामक एक बिल्कुल नया मंत्रालय बनाया गया। नाव दुर्घटना का राजनीतिक परिणाम क्या हुआ? दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री जंग होंग-वॉन ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए दुर्घटना के 11 दिनों के भीतर इस्तीफा दे दिया। बेशक, दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति के पास सबसे अधिक शक्ति होती है। यह नाव दुर्घटना तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्यून-हे के राजनीतिक करियर के लिए घातक साबित हुई। उन्होंने अपना पद तो नहीं छोड़ा, लेकिन वे सार्वजनिक नजरों से ओझल हो चुके थे। ठीक वैसे ही जैसे हमारे भ्रष्ट शासक सार्वजनिक नजरों से ओझल हो गए हैं। फिर भी हमारे शासक सत्ता नहीं छोड़ते। मेरा भारत महान है।

अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीति पर लगाई रोक, 39 देशों के हजारों प्रवासियों को मिली बड़ी राहत

बोस्टन। अमेरिका में आव्रजन नीति को लेकर चल रही कानूनी और राजनीतिक बहस के बीच एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले ने हजारों प्रवासियों को बड़ी राहत प्रदान की है। संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू की गई उस विवादास्पद आव्रजन नीति को निरस्त कर दिया है, जिसके कारण अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और मध्य-पूर्व के 39 देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में रहने, काम करने और स्थायी कानूनी दर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन हो गई थी। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि संबंधित नीति कानूनी मानकों पर खरी नहीं उतरती और इसे लागू करते समय प्रशासन ने पर्याप्त कानूनी आधार प्रस्तुत नहीं किया।

अमेरिकी जिला अदालत के मुख्य न्यायाधीश जॉन मैककोनेल जूनियर ने अपने विस्तृत निर्णय में कहा कि इस नीति के कारण हजारों लोग लंबे समय तक अनिश्चितता की स्थिति में रहने को मजबूर हो गए। कई ऐसे प्रवासी, जो वर्षों से अमेरिका में रह रहे थे और जिनकी कानूनी प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही थीं, अचानक

प्रशासनिक रोक के कारण अधर में लटक गए। अदालत ने माना कि सरकार के पास नीति लागू करने का अधिकार अवश्य है, लेकिन वह अधिकार असीमित नहीं है और किसी भी प्रशासनिक निर्णय को कानून तथा संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुरूप होना आवश्यक है।

न्यायालय ने कहा कि संबंधित एजेंसी ने अपने निर्णय के पीछे पर्याप्त और स्पष्ट कारण प्रस्तुत नहीं किए। साथ ही यह भी पाया गया कि कई मामलों में एजेंसी ने अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से आगे बढ़कर निर्णय लिए। अदालत के अनुसार प्रशासनिक संस्थाओं को नीतिगत बदलाव करते समय यह स्पष्ट करना होता है कि बदलाव क्यों आवश्यक है और उसका कानूनी आधार क्या है। इस मामले में ऐसा पर्याप्त रूप से नहीं किया गया।

यह नीति पिछले वर्ष उस समय लागू की गई थी जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ घटनाक्रमों के बाद सरकार ने आव्रजन प्रक्रियाओं को और अधिक सख्त बनाने का निर्णय लिया था। प्रशासन ने दावा किया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा और संभावित खतरों को रोकने के लिए अतिरिक्त जांच और नियंत्रण आवश्यक हैं। इसी आधार पर 39 देशों के नागरिकों से जुड़े कई आवेदनों पर अंतिम निर्णय रोक दिया गया था।

नीति लागू होने के बाद प्रभावित देशों के नागरिकों के लिए शरण आवेदन, कार्य अनुमति, स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) और नागरिकता संबंधी प्रक्रियाएं गंभीर रूप से प्रभावित हुई थीं। अनेक मामलों में आवेदन स्वीकार तो किए गए, लेकिन उन पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। इससे हजारों लोग कानूनी रूप से अस्थिर स्थिति में पहुंच गए, जहां वे न तो अपने भविष्य की स्पष्ट योजना बना पा रहे थे और न ही अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग कर पा रहे थे। अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क की भी विस्तार से समीक्षा की। न्यायाधीश मैककोनेल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा निस्संदेह सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन इस आधार पर उठाए गए प्रत्येक कदम की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उन्होंने टिप्पणी की कि प्रस्तुत तथ्यों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर यह नीति राष्ट्रीय सुरक्षा की वास्तविक आवश्यकता से अधिक व्यापक दिखाई देती है।

अपने फैसले में अदालत ने यह भी संकेत दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क कुछ मामलों में प्रवासी-विरोधी दृष्टिकोण को वैध ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया प्रतीत होता है। न्यायालय ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि सुरक्षा के नाम पर बड़े समूहों को बिना पर्याप्त कारण प्रभावित किया जाता है, तो ऐसे निर्णयों की न्यायिक जांच अनिवार्य हो जाती है।

इस फैसले का स्वागत उन संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने किया है, जो लंबे समय से इस नीति का विरोध कर रहे थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने वाले संगठन डेमोक्रेसी फॉरवर्ड ने अदालत के निर्णय को कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों की जीत बताया। संगठन का कहना है कि प्रभावित प्रवासी वर्षों से अनिश्चितता, मानसिक तनाव और प्रशासनिक बाधाओं का सामना कर रहे थे। अदालत का फैसला उन्हें न्याय और स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा। आव्रजन विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय का प्रभाव केवल 39 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भविष्य की अमेरिकी आव्रजन नीतियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल बन सकता है। अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रशासनिक एजेंसियां राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों का हवाला देकर भी कानून की सीमाओं से बाहर नहीं जा सकतीं। किसी भी नीति को लागू करने से पहले उसके पीछे ठोस तथ्य, उचित प्रक्रिया और स्पष्ट कानूनी आधार होना आवश्यक है।

रेल विकास की नई पटरी पर बंगाल, हर जिले तक पहुंचेगी ट्रेन, एक लाख करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगी तस्वीर

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में रेलवे विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू होने जा रही है। राज्य के हर जिले को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लक्ष्य के साथ बड़े पैमाने पर रेलवे विस्तार की योजना तैयार की गई है। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत आने वाले वर्षों में लगभग एक लाख करोड़ रुपये की रेलवे परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की तैयारी है। माना जा रहा है कि यह योजना केवल परिवहन व्यवस्था को मजबूत नहीं करेगी, बल्कि राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास को भी नई दिशा देगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद इस व्यापक योजना की रूपरेखा सामने आई। बैठक में रेलवे परियोजनाओं की प्रगति, नई रेल लाइनों, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, स्टेशन आधुनिकीकरण और कनेक्टिविटी विस्तार जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों का मानना है कि यदि प्रस्तावित परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी हो जाती हैं, तो पश्चिम बंगाल देश के सबसे मजबूत रेल नेटवर्क वाले राज्यों में शामिल हो सकता है।

राज्य के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी रेल संपर्क सीमित है या अपेक्षित स्तर तक विकसित नहीं हो पाया है। इससे न केवल लोगों की आवाजाही प्रभावित होती है, बल्कि व्यापार, उद्योग, कृषि और पर्यटन गतिविधियों को भी पूरा लाभ नहीं मिल पाता। नई योजना का मुख्य उद्देश्य इन कमियों को दूर करते हुए राज्य के प्रत्येक जिले को आधुनिक और सुलभ रेल नेटवर्क से जोड़ना है।

बैठक में विशेष रूप से भूमि उपलब्धता को परियोजनाओं की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार बताया गया। रेलवे परियोजनाओं में अक्सर भूमि अधिग्रहण और हस्तांतरण की प्रक्रिया के कारण देरी होती रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक भूमि हस्तांतरण का विस्तृत कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने जिलों में प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की पहचान करें और उसके हस्तांतरण की समयबद्ध योजना तैयार करें, ताकि निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके।

सूत्रों के अनुसार, इस बार परियोजनाओं को केवल कागजों तक सीमित रखने के बजाय उनकी नियमित निगरानी की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रत्येक चरण की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और जहां भी प्रशासनिक या तकनीकी अड़चनें सामने आएंगी, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा। रेलवे और राज्य प्रशासन के बीच समन्वय को मजबूत बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया है।

बैठक में यह भी स्वीकार किया गया कि पिछले कई दशकों में पश्चिम बंगाल में रेलवे विकास की गति अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही। अनेक परियोजनाएं स्वीकृत होने के बावजूद भूमि संबंधी समस्याओं, प्रशासनिक विलंब और विभिन्न स्तरों पर समन्वय की कमी के कारण लंबे समय तक अटकी रहीं। इसके चलते कई क्षेत्रों में रेल संपर्क विस्तार की योजनाएं निर्धारित समय पर पूरी नहीं हो सकीं। अब केंद्र और राज्य के बीच बेहतर सहयोग के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे केवल परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि विकास का इंजन है। किसी भी क्षेत्र में मजबूत रेल नेटवर्क रोजगार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से पश्चिम बंगाल में रेलवे अवसंरचना विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी और इसका सीधा लाभ आम नागरिकों को प्राप्त होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य के हर जिले को रेल सेवा से जोड़ने की योजना का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों को मिलेगा। बेहतर रेल संपर्क से किसानों को अपने उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा होगी। औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल और तैयार उत्पादों के परिवहन में लागत कम होगी, जबकि छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और यात्रियों के लिए आवागमन अधिक आसान और सस्ता हो जाएगा।

पर्यटन क्षेत्र को भी इस योजना से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल के कई ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क मजबूत होने से देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित निवेश केवल नई रेल लाइनों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके अंतर्गत कई स्टेशनों का आधुनिकीकरण, यात्री सुविधाओं का विस्तार, माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि, सिग्नलिंग सिस्टम का उन्नयन और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा जहां आवश्यक होगा, वहां पुरानी लाइनों के दोहरीकरण और नई तकनीकों के उपयोग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए माल परिवहन नेटवर्क को मजबूत बनाने की भी योजना है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर रेल माल ढुलाई प्रणाली उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाती है और निवेशकों को आकर्षित करती है। यही कारण है कि रेलवे विस्तार को केवल परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक विकास कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी इस योजना को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कि यदि एक लाख करोड़ रुपये की प्रस्तावित परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो जाती हैं, तो पश्चिम बंगाल की बुनियादी ढांचा क्षमता में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इससे न केवल लोगों की यात्रा सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा।

आने वाले महीनों में भूमि हस्तांतरण, परियोजना स्वीकृति और निर्माण कार्यों की दिशा में तेज गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

नवसर्जन संस्कृति हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

मुनाफे के लिये मिलावट घोषित हो अपराध

यह इंसान के पतन की पराकाष्ठा ही है कि समाज में बच्चों, वृद्धों, बीमारों व कमजोर लोगों के स्वास्थ्यवर्धन हेतु डॉक्टर दूध-घी-फल लेने को कहे, लेकिन जब उन्हें ये मिले तो उसमें भारी मिलावट पायी जाए। लोग अस्पतालों में बीमारियों से जूझते अपने परिजनों को शीघ्र ठीक करने के लिये दूध व जूस आदि देते हैं, लेकिन उनमें भी यदि घातक रसायन मिले होंगे, तो वे कैसे ठीक हो सकते हैं?

पिछले दिनों राजस्थान से अलीगढ़ लाया जा रहा सैकड़ों किलो घी बरामद हुआ। हापुड़ में करीब 22 लाख का नकली शहद पकड़ा गया। सोमनाथ में किडनी-लीवर को नुकसान पहुंचाने वाला यूरिया, डिटर्जेंट व कास्टिक सोडा मिला तीन हजार लीटर दूध बरामद होने की खबरें मीडिया में तैरती रहीं। आखिर लोभी मनुष्य के पतन की कोई सीमा भी है? चंद रुपयों के मुनाफे के लिये हम अपना दीन-ईमान बेचने के लिये कैसे तैयार हो जाते हैं? जीवन रक्षक दवा से लेकर खानपान में मिलावट की लगातार आने वाली खबरें विचलित करती हैं कि क्या खाएं और क्या न खाएं।

पहले कहा जाता था कि ऊपर वाले से डर के कह रहा हूं। लोगों में नैतिकता का भाव होता था। समाज में धारणा थी कि दूसरों के लिये कुंआ खोदने वाला खुद के लिये खाई खोद रहा होता है। लेकिन आखिर समाज में ऐसा क्या हुआ कि लोगों में दुनिया की रचना करने वाले का भय व लोककल्याण का भाव खत्म हो गया। निश्चय ही ये रामराज जैसा वक्त नहीं है। हर दौर में अच्छे-बुरे लोग होते ही हैं। नकारात्मक सोच व दूसरों को कष्ट देकर खुश होने वाले रुग्ण मानसिकता के लोग हर काल खंड में पाये जाते रहे हैं। लेकिन उनका प्रतिशत कम रहा है। आज तो हर व्यक्ति मुनाफे से रातों-रात धनी हो जाना चाहता है,अब चाहे किसी की जान भी जाए, उसकी बला से। निस्संदेह, ये घटनाएं किसी सभ्य के माथे पर कलंक जैसी ही हैं।

हम अक्सर सुनते हैं कि फलों को तुरत-फुरत पकाने वाले रसायनों का जमकर प्रयोग किया जा रहा है। हरी सब्जी व फलों को घातक रसायन से चमकदार बनाया जा रहा है। दरअसल, तुरंत फसल लेने के लिये ऐसे घातक रसायन प्रयोग किए जा रहे हैं, जिन पर तमाम सभ्य समाजों में पूर्ण प्रतिबंध है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नियामक तंत्र विकसित ही नहीं हो पाया है, जो ऐसे मामलों में तुरत-फुरत जांच करे और तत्काल मिलावटखोरों को सजा दिलाए। विडंबना यह भी है कि हमारे समाज में स्वयं सेवी संगठन या जागरूक लोग इस गंभीर संकट के प्रति संवेदनशील नहीं हैं।

शासन-प्रशासन से पूछा जाना चाहिए कि हर शहर में मिलावटी सामान की जांच करने वाली लैब की सहज उपलब्धता क्यों नहीं है? जिन विभागों के अधिकारियों के पास जांच-पड़ताल का दायित्व होता है, वे चुप क्यों रहते हैं? दीपावली व अन्य त्योहारों पर जनाक्रोश के चलते कुछ छोटे हलवाइयों पर कार्रवाई होती है, मगर बड़ी मछलियां साफ बच निकलती हैं। क्या इन अधिकारियों की खामोशी में चांदी के जूते की चोट शामिल होती है? यह किसी से नहीं छिपा कि ये मलाईदार पोस्ट कितने लेन-देन के बाद मिलती हैं। राजनेताओं से लेकर अधिकारियों तक को लेन-देन के बाद ही उनकी पांचों उंगलियां घी में होती है। फिर वे भी नियुक्ति में किए गए निवेश की वसूली में जुट जाते हैं। निश्चय ही एक कारगर तंत्र को विकसित किए बिना इस घृणित कारोबार पर लगाम लगना संभव नहीं है। हम जानते हैं कि जब से देश में सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग बढ़ा है, लाखों सच सामने आए हैं। अन्यथा ये सच कभी अनावृत न होते। ऐसी ही कोई कारगर तकनीक मिलावट रोकेगी। जयपुर के खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिछले दिनों पैकेज्ड फूड आइटम्स पर लिखी एक्सपायरी डेट मिटाने वाले अत्याधुनिक उपकरण बरामद किए। तो ऐसे में एक्सपायरी डेट देखकर सामान खरीदने वाला आम आदमी क्या करेगा? निश्चय ही अनैतिक रूप से मुनाफा कमाने वाले लोग सख्त सजा के हकदार हैं। देश में मिलावटखोरी रोकने के लिए तुरंत सख्त कानून बनाने की जरूरत है। अन्यथा अस्पतालों में मिलावटी खाद्य पदार्थों से लीवर-किडनी खराब करवाने वाले मरीजों की लंबी कतारें हमारे समाज की हकीकत बनी रहेगी।

पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश से रक्षा संबंध बना रहा तुर्किये, भारत को दो तरफ से घेरने की रणनीति!

> “तुर्किये ने साफ संकेत दे दिया है कि वह दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी केवल व्यापार या मानवीय सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहता। ढाका में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में रक्षा सहयोग, रक्षा उत्पादन, सामरिक साझेदारी और आर्थिक विस्तार पर जिस गंभीरता से चर्चा हुई, वह भारत के लिए साधारण घटना नहीं है।

दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीतिक बिसात पर अब एक नया और बेहद खतरनाक समीकरण तेजी से उभर रहा है। भारत विरोधी रवैये के लिए लंबे समय से चर्चित तुर्किये अब केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने बांग्लादेश के साथ भी अपने रक्षा और सामरिक रिश्तों को तेजी से विस्तार देना शुरू कर दिया है। ढाका पहुंचे तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने जिस तरह बांग्लादेश को दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया, उसने नई दिल्ली की चिंता और गहरा दी है। इस बयान को भारत के चारों ओर रणनीतिक दबाव बनाने की सुनियोजित चाल के रूप में देखा जा रहा है। तुर्किये ने साफ संकेत दे दिया है कि वह दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी केवल व्यापार या मानवीय सहायता तक सीमित नहीं रखना चाहता। ढाका में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में रक्षा सहयोग, रक्षा उत्पादन, सामरिक साझेदारी और आर्थिक विस्तार पर जिस गंभीरता से चर्चा हुई, वह भारत के लिए साधारण घटना नहीं है। बांग्लादेश ने तुर्किये को रक्षा सामग्री निर्माण में निवेश का खुला न्योता दिया है। दोनों देशों ने पारंपरिक सहयोग से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदारी की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही है। यह वही तुर्किये है जिसने पाकिस्तान के साथ मिलकर वर्षों तक भारत विरोधी मोर्चेबंदी की, कश्मीर मुद्दे पर खुलकर इस्लामाबाद का साथ दिया और इस्लामी सहयोग संगठन के मंचों पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया।

उधर, दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता यह है कि तुर्किये अब भारत के पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान और पूर्वी मोर्चे पर बांग्लादेश के साथ समानांतर सामरिक रिश्ते बना रहा है। यह दो तरफा दबाव की रणनीति जैसी दिखाई देती है। पाकिस्तान पहले से ही तुर्किये के रक्षा उद्योग, ड्रोन तकनीक और सैन्य प्रशिक्षण का लाभ उठा रहा है। अब यदि वही ढांचा बांग्लादेश तक पहुंचता है, तो भारत के लिए सुरक्षा समीकरण और जटिल हो जाएंगे। खास तौर पर तब, जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार अपनी विदेश नीति को नए ढंग से गढ़ने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा, तुर्किये और बांग्लादेश के बीच केवल रक्षा सहयोग ही नहीं, बल्कि आर्थिक और संस्थागत साझेदारी भी तेजी से बढ़ रही है। दोनों देश व्यापार को तेरह अरब डॉलर से बढ़ाकर बीस अरब डॉलर तक ले जाने की तैयारी में हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में तुर्किये को निवेश का निमंत्रण दिया गया है। वस्त्र, दवा निर्माण, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जा रहा है। ढाका में अंतरराष्ट्रीय स्तर का अस्पताल और नर्सिंग संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। यह साफ दिखाता है कि तुर्किये केवल सैन्य साझेदारी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक प्रभाव स्थापित करने की नीति पर काम कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुर्किये दक्षिण एशिया में खुद को मुस्लिम दुनिया के प्रभावशाली संरक्षक के रूप में स्थापित करना चाहता है। रोहिंग्या मुद्दे पर उसकी सक्रियता, गाजा पर आक्रामक बयानबाजी और बांग्लादेश के साथ मानवीय सहयोग इसी रणनीति का हिस्सा हैं। लेकिन इसके पीछे छिपा बड़ा उद्देश्य क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार और भारत की सामरिक चुनौती को बढ़ाना है। वैसे तो तुर्किये लगातार यह कह रहा है कि भारत को उसके पाकिस्तान से रिश्तों की वजह से उससे दूरी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन असली सवाल भरोसे का है। राष्ट्रपति एर्दोआन कई बार खुलकर कश्मीर पर पाकिस्तान के समर्थन में बयान दे चुके हैं। तुर्किये ने पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा रिश्ते भी काफी मजबूत कर लिए हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान तुर्किये ने पाकिस्तान को रक्षा उपकरण और ड्रोन तक मुहैया कराए थे। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से आए जिन कई ड्रोनों को मार गिराया था, उनमें तुर्किये में बने ड्रोन भी शामिल थे। ऐसे में तुर्किये का भारत से दोस्ती और संतुलन की बात करना नई दिल्ली को एक सोची समझी रणनीतिक चाल जैसा लगता है। यही वजह है कि भारत भी अब तुर्किये को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। दरअसल, भारत ने हाल के वर्षों में साइप्रस और ऑर्मेनिया के साथ अपने रक्षा संबंधों को तेजी से मजबूत किया है। ऑर्मेनिया अब भारतीय हथियारों का बड़ा खरीदार बन चुका है। साइप्रस के साथ भी भारत रणनीतिक और रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। यह सीधे-सीधे तुर्किये को संदेश है कि यदि अंकारा भारत के पड़ोस में दखल बढ़ाएगा, तो नई दिल्ली भी तुर्किये के सामरिक क्षेत्र में जवाबी दबाव बनाएगी। जिस तरह तुर्किये पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के जरिए भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह भारत भी तुर्किये के विरोधी या प्रतिस्पर्धी देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। यह नई शीत प्रतिद्वंद्विता का संकेत है।

उधर, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की विदेश नीति भी इस समय भारत के लिए गहरी चिंता का विषय बनती जा रही है। भारत की ओर से सबसे पहले आधिकारिक यात्रा का निमंत्रण मिलने के बावजूद रहमान ने पहले मलेशिया और फिर चीन जाने का फैसला किया। ढाका ने साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की कि वह अब केवल भारत पर निर्भर रहने वाली नीति से आगे बढ़ना चाहता है। खास बात यह है कि चीन यात्रा के दौरान तीस्ता परियोजना समेत कई बड़े रणनीतिक मुद्दों पर बातचीत की संभावना जताई जा रही है। साथ ही तारिक रहमान की मलेशिया यात्रा को केवल एक सामान्य विदेश दौरे के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। इसके पीछे साफ रणनीतिक सोच दिखाई दे रही है। बांग्लादेश नहीं चाहता था कि नई सरकार की पहली विदेश यात्रा सीधे भारत या चीन में से किसी एक देश की तरफ झुकाव का संकेत दे। यही वजह है कि ढाका ने मलेशिया को पहले पड़ाव के तौर पर चुना, ताकि वह खुद को तटस्थ दिखा सके और भारत, चीन प्रतिस्पर्धा से दूरी बनाने का संदेश दे सके। लेकिन इसके राजनीतिक और सामरिक मायने काफी बड़े हैं। मलेशिया यात्रा के बाद चीन जाने की तैयारी यह संकेत देती है कि बांग्लादेश अब अपनी विदेश नीति को नए संतुलन के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। इससे भारत की चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ढाका अब एक साथ चीन, तुर्किये, पाकिस्तान और अन्य इस्लामी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। यह आने वाले समय में भारत के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक चुनौती को और कठिन बना सकता है। देखा जाये तो भारत के लिए यह समय बेहद सतर्क रहने का है। पाकिस्तान के साथ तुर्किये की साझेदारी पहले ही चिंता का कारण थी, लेकिन अब यदि बांग्लादेश भी उसी धुरी का हिस्सा बनने लगता है, तो यह भारत की पूर्वी सुरक्षा संरचना के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। हालांकि भारत को कम करके आंकना ढाका, इस्लामाबाद और अंकारा तीनों की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। भले ही बांग्लादेश चीन, पाकिस्तान और तुर्किये के साथ मिलकर नए समीकरण बनाने की कोशिश करे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति बेहद दूरदर्शी और बहुस्तरीय मानी जाती है। कभी कभार ऐसा लग सकता है कि भारत चुप क्यों है, लेकिन इतिहास गवाह है कि सही समय आने पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब बेहद सटीक और ताकतवर होता है। कूटनीति का जवाब कूटनीति से और रणनीतिक चालों का जवाब उससे भी बड़ी चाल से देना ही मोदी की कार्यशैली रही है। यही वजह है कि आज भारत केवल अपने विरोधियों की गतिविधियों पर नजर नहीं रख रहा, बल्कि उनके हर कदम का जवाब देने के लिए समानांतर रणनीतिक मोर्चे भी तैयार कर रहा है।

प्रेरणा

क्यों कहा जाता है कि एक टुकड़ा गाय का और एक कुत्ते का हक कभी नहीं छीनना चाहिए?

भारतीय संस्कृति में भोजन को केवल जीवनयापन का साधन नहीं माना गया है, बल्कि इसे धर्म, कर्तव्य, करुणा और प्रकृति के साथ जुड़ाव का माध्यम भी समझा गया है। हमारे ऋषि-मुनियों और पूर्वजों ने दैनिक जीवन की छोटी-छोटी आदतों में भी ऐसे गहरे संदेश छिपाए हैं, जो मनुष्य को आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। इन्हीं परंपराओं में एक अत्यंत प्रचलित परंपरा है कि घर में भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए अलग निकालनी चाहिए। यह परंपरा सदियों से भारतीय परिवारों में चली आ रही है और आज भी लाखों लोग इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाते हैं।

अक्सर लोग इसे केवल धार्मिक आस्था या पुरानी परंपरा मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जो धर्म, ज्योतिष, वास्तु, पर्यावरण और मानवता से गहराई से जुड़े हुए हैं। भारतीय दर्शन का मूल सिद्धांत है कि मनुष्य अकेला नहीं है, बल्कि वह प्रकृति और समस्त जीव-जंतुओं के साथ एक विशाल परिवार का हिस्सा है। इसी सोच के कारण भोजन का एक भाग अन्य प्राणियों के लिए समर्पित करने की परंपरा विकसित हुई। यह केवल दान नहीं बल्कि सह-अस्तित्व की भावना का प्रतीक है।

हिंदू धर्म में अन्न को ब्रह्म के समान माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न का अपमान करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। माता अन्नपूर्णा को भोजन की देवी माना जाता है और यह विश्वास है कि जिस घर में अन्न का सम्मान होता है, वहां सदैव समृद्धि बनी रहती है। जब परिवार अपनी थाली से पहले किसी अन्य जीव के लिए भोजन निकालता है, तो यह त्याग, सेवा और कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि पहली रोटी गाय को समर्पित करने की परंपरा को विशेष महत्व दिया गया है।

भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि गाय के शरीर में अनेक देवी-देवताओं का निवास माना जाता है। इसलिए उसकी सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान समझा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गाय को भोजन कराता है, उसके घर में सुख, शांति और धन-धान्य की वृद्धि होती है। कई परिवार आज भी भोजन बनाने के बाद सबसे पहले गाय के लिए रोटी निकालते हैं और इसे शुभ आरंभ का प्रतीक मानते हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को रोटी खिलाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ऐसा विश्वास है कि जहां गौ सेवा होती है, वहां दरिद्रता लंबे समय तक टिक नहीं पाती। यही कारण है कि अनेक लोग विशेष अवसरों, पर्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान गाय को गुड़, रोटी और हरा चारा खिलाते हैं। इसे पुण्य अर्जित करने का सरल और प्रभावी माध्यम माना जाता है।

वास्तु शास्त्र में भी गाय को सकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना गया है। कहा जाता है कि गाय को भोजन देने से घर का वातावरण शांत और पवित्र बना रहता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग और सामंजस्य बढ़ता है। कई वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी घर में बार-बार विवाद, तनाव या आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होती हैं, तो गौ सेवा करने से स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। पहली रोटी गाय के लिए निकालने के बाद अंतिम रोटी कुत्ते को देने की परंपरा भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गई है। हिंदू मान्यताओं में कुत्ते को भगवान काल भैरव का प्रिय वाहन माना गया है। काल भैरव भगवान शिव का एक शक्तिशाली स्वरूप हैं और उनकी कृपा से भय, संकट और बाधाओं का नाश होता है। इसलिए कुत्ते को भोजन कराना केवल दया का कार्य नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत शुभ माना गया है।

ज्योतिष शास्त्र में कुत्ते का संबंध विशेष रूप से राहु और केतु ग्रहों से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में राहु या केतु अशुभ स्थिति में होते हैं, उन्हें नियमित रूप से कुत्तों को भोजन कराना चाहिए। इससे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव में कमी आती है और जीवन में आने वाली अनावश्यक बाधाएं धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं। कई ज्योतिषाचार्य शनिवार या रविवार के दिन कुत्तों को रोटी खिलाने की सलाह भी देते हैं।

वास्तु मान्यताओं के अनुसार कुत्ते को भोजन देने से घर के आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। इसे बुरी नजर और अदृश्य बाधाओं से रक्षा करने वाला उपाय माना जाता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कुत्तों को भोजन कराने से घर में सुरक्षा और स्थिरता की भावना मजबूत होती है। चाहे इन मान्यताओं को आस्था के रूप में देखा जाए या प्रतीकात्मक रूप में, लेकिन इनका उद्देश्य मनुष्य को दयालु और जिम्मेदार बनाना है।

इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू भी है। हमारे आसपास अनेक पशु ऐसे होते हैं जिन्हें प्रतिदिन पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। यदि प्रत्येक परिवार अपने भोजन का एक छोटा हिस्सा उनके लिए अलग रखे, तो अनेक जीवों की भूख मिट सकती है। यह परंपरा समाज में संवेदनशीलता और करुणा को बढ़ावा देती है। आज के समय में जब शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है और पशुओं के प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं, तब यह परंपरा और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है।

भारतीय जीवन दर्शन हमेशा से "वसुधैव कुटुंबकम्" की भावना पर आधारित रहा है। इसका अर्थ है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। गाय और कुत्ते को भोजन देने की परंपरा इसी विचार को व्यवहार में उतारने का एक सुंदर उदाहरण है। यह हमें याद दिलाती है कि केवल अपने परिवार की चिंता करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन जीवों के प्रति भी हमारा दायित्व है जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, लेकिन भूख और पीड़ा को समान रूप से महसूस करते हैं।

आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि पशुओं के प्रति दया और सेवा का भाव मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी जीव की सहायता करता है, तो उसके भीतर सकारात्मक भावनाओं का विकास होता है। इससे तनाव कम होता है, मन में संतोष बढ़ता है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक बनता है। यही कारण है कि पशु सेवा को आज कई मनोवैज्ञानिक भी एक सकारात्मक सामाजिक व्यवहार मानते हैं।

टूटते भरोसे के वेंटिलेटर पर देश की परीक्षा व्यवस्था

भारत में परीक्षा अब केवल योग्यता का आकलन नहीं रह गई है बल्कि यह करोड़ों सपनों की निर्णायक कसौटी बन चुकी है लेकिन जब यही कसौटी बार-बार संदिग्ध हो जाए, जब मेहनत और ईमानदारी की जगह 'जुगाड़' और 'माफिया नेटवर्क' हावी हो जाएं, तब यह केवल परीक्षा का संकट नहीं बल्कि राष्ट्र के भविष्य का संकट बन जाता है। पेपर लीक के चलते नीट-यूजी 2026 परीक्षा का रद्द होना, सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली पर उठे गंभीर सवाल और एसएससी जीडी परीक्षा में धांधली, ये घटनाएं मिलकर यह साबित करती हैं कि भारत की परीक्षा प्रणाली अब गहरे संस्थागत संकट में फंस चुकी है और भारत की परीक्षा प्रणाली अब वेंटिलेटर पर है। नीट-यूजी 2026 का घटनाक्रम तो इस विफलता की सबसे भयावह तस्वीर पेश करता है। लगभग 22.79 लाख छात्रों की मेहनत, उनके परिवारों के त्याग और वर्षों की तैयारी एक झटके में शून्य हो गई। यह केवल एक परीक्षा का रद्द होना नहीं था बल्कि उस विश्वास का टूटना था, जिस पर पूरी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। इससे भी अधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि इस बार मामला केवल बाहरी गिरोहों तक सीमित नहीं रहा बल्कि जांच में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के भीतर तक मिलीभगत के आरोप सामने आए।

सीबीआई की जांच और संसदीय समिति की पूछताछ में यह संकेत मिले हैं कि प्रश्नपत्र तैयार करने और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े कुछ अधिकारियों ने मोटी रकम लेकर चुनिंदा छात्रों तक प्रश्नपत्र पहुंचाने का काम किया। यदि ये आरोप सही हैं तो यह केवल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि संस्थागत विश्वासघात है। जिस संस्था को निष्पक्षता की गारंटी देनी थी, वही यदि धांधली का हिस्सा बन जाए तो पूरी व्यवस्था का नैतिक आधार ही खत्म हो जाता है। नीट पेपर लीक की प्रकृति भी सामान्य नहीं थी। 'गेस पेपर' के नाम पर लगभग 150 से अधिक प्रश्नों का हूबहू मिल जाना, परीक्षा से पहले 600 अंकों तक के सवालों का प्रसार, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर खुलेआम प्रश्नपत्र का घूमना, ये सब किसी संयोग का परिणाम नहीं हो सकते। यह एक संगठित, बहुस्तरीय और तकनीकी रूप से सक्षम नेटवर्क का संकेत है, जो परीक्षा प्रणाली की हर कमजोर कड़ी को भेद चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2024 में पेपर लीक के बाद भी कोई ठोस सुधार क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों, जांच समितियों और सिफारिशों के बावजूद 2026 में स्थिति और बदतर कैसे हो गई? इसका सीधा अर्थ है कि समस्या तकनीकी कम और इच्छाशक्ति की अधिक है। भारत की परीक्षा प्रणाली का ढ़ांचा ही कई स्तरों पर कमजोर है। प्रश्नपत्रों की छपाई से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया में निजी एजेंसियों और आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी भूमिका रहती है। यही वह जगह है, जहां से माफिया नेटवर्क अपनी जड़ें जमाता है। जब प्रश्नपत्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले ही स्कैन होकर डिजिटल रूप में फैल सकता है तो यह स्पष्ट संकेत है कि सुरक्षा तंत्र केवल कागजों पर मजबूत है, जमीन पर नहीं। दूसरी ओर, कोचिंग उद्योग का अनियंत्रित विस्तार इस संकट को और गहरा कर रहा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं अब हजारों करोड़ रुपये का बाजार बन चुकी हैं। इस बाजार में 'सफलता' एक उत्पाद है, जिसे खरीदने के लिए छात्र और अभिभावक किसी भी हद तक जाने को मजबूर हैं। इसी मानसिकता का फायदा उठाकर एजुकेशन माफिया 'सीक्रेट पेपर', '100 प्रतिशत सलेक्शन गारंटी' और 'इनसाइडर एक्सेस' जैसे झूठे वादों के जरिए पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है।

यदि नीट प्रकरण परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है तो सीबीएसई का ओएसएम विवाद मूल्यांकन प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर चोट करता है। डिजिटल मूल्यांकन को पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया था लेकिन इसके परिणाम उलटे दिखाई दिए। पास प्रतिशत में गिरावट, मेधावी छात्रों को अपेक्षा से कम अंक मिलना और स्कैन की गई कॉपियों में भारी गड़बड़ियां, ये सब इस बात के संकेत हैं कि तकनीक को बिना पर्याप्त तैयारी और परीक्षण के लागू किया गया। कई छात्रों ने शिकायत की कि उनकी कॉपियां धुंधली थी, कुछ को गलत उत्तर पुस्तिकाएं मिली और कुछ मामलों में तो पूरी कॉपी ही किसी और की थी। यह स्थिति केवल तकनीकी त्रुटि नहीं मानी जा सकती बल्कि यह सरासर गंभीर प्रशासनिक लापरवाही है। यदि एक छात्र की मेहनत को किसी दूसरे की कॉपी से बदल दिया जाए तो यह केवल गलती नहीं है बल्कि उस छात्र के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। शिक्षा मंत्रालय और बोर्ड भले ही इन खामियों को सीमित मामलों तक बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करें लेकिन छात्रों में बढ़ता असंतोष इस बात का प्रमाण है कि समस्या व्यापक है। तीसरी बड़ी घटना, एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा में धांधली, इस बात को और स्पष्ट करती है कि यह संकट किसी एक परीक्षा या संस्था तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में पेपर लीक, तकनीकी खराबी और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। ग्रेटर नोएडा में यूपी एसटीएफ द्वारा पकड़े गए रैकेट ने इस धांधली के आधुनिक रूप को उजागर किया। प्रॉक्सी सर्वर, स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स और डमी कैंडिडेट्स के जरिए परीक्षा में हेरफेर किया जा रहा था। यह पारंपरिक नकल या पेपर लीक से कहीं अधिक खतरनाक है क्योंकि इसमें तकनीक का इस्तेमाल कर पूरी प्रणाली को भीतर से हैक किया जा रहा है। इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखें तो एक भयावह तस्वीर उभरती है, एक ऐसी व्यवस्था, जहां प्रश्नपत्र सुरक्षित नहीं, मूल्यांकन विश्वसनीय नहीं और परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है।

अभियान

सात सदियों की साधना पूर्ण हुई: मां वाग्देवी के धाम में फिर जागा सनातन का प्रकाश

कभी-कभी इतिहास केवल घटनाओं का क्रम नहीं होता, वह एक सभ्यता की धड़कन भी होता है। कुछ स्थान केवल पत्थरों और स्तंभों से निर्मित नहीं होते, बल्कि उनमें युगों की आस्था, ऋषियों की तपस्या, विद्वानों का ज्ञान और भक्तों की अनगिनत प्रार्थनाएं बसती हैं। मध्यप्रदेश की पावन धरती पर स्थित धार की भोजशाला ऐसा ही एक तीर्थ है, जहां सदियों से समय स्वयं मौन खड़ा होकर उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, जब मां वाग्देवी की स्तुति फिर से उसी वैभव के साथ गूंजेगी, जिस वैभव के साथ कभी राजा भोज के युग में गूंजा करती थी। आज जब भोजशाला को लेकर वर्षों से चल रहे विवादों और कानूनी संघर्षों के बाद नए अध्याय का आरंभ हुआ है, तब यह केवल एक इमारत की कहानी नहीं रह गई, बल्कि यह सनातन संस्कृति के आत्मविश्वास, धैर्य और पुनर्जागरण का प्रतीक बन गई है।

धार नगरी का नाम लेते ही स्मरण होता है उस महान सम्राट का, जिसने केवल राज्य नहीं चलाया बल्कि ज्ञान, विज्ञान, साहित्य और संस्कृति का एक स्वर्णिम युग रचा। परमार वंश के प्रतापी राजा भोज केवल शासक नहीं थे, वे एक महान विद्वान, दार्शनिक और कला संरक्षक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में धारा नगरी को शिक्षा और संस्कृति की राजधानी के रूप में विकसित किया। जिस प्रकार नालंदा और तक्षशिला ज्ञान के विशाल केंद्र थे, उसी प्रकार भोजशाला भी भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अनुपम केंद्र बनी। यहां दूर-दूर से विद्वान, आचार्य, शोधार्थी और छात्र आते थे। वेद, उपनिषद, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन और साहित्य की चर्चाओं से यह परिसर सदैव जीवंत रहता था।

कहा जाता है कि जब भोजशाला अपने पूर्ण वैभव में थी, तब यहां ज्ञान की ऐसी गंगा बहती थी, जिसका प्रभाव पूरे भारतवर्ष पर दिखाई देता था। मां सरस्वती की कृपा से यह स्थान केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना का भी केंद्र था। यहां स्थापित वाग्देवी की प्रतिमा को देखकर विद्वान स्वयं को धन्य मानते थे। उस दिव्य प्रतिमा की छवि में ज्ञान, करुणा और दिव्यता का अद्भुत संगम दिखाई देता था। मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी यहां साधना करते थे और कवि अपनी रचनाओं का प्रथम पाठ देवी के चरणों में समर्पित करते थे।

लेकिन इतिहास के पन्नों में ऐसे अनेक अध्याय हैं, जब विदेशी आक्रमणों ने भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को मिटाने का प्रयास किया। भोजशाला भी इस पीड़ा से अछूती नहीं रही। आक्रमणों के दौर में इसके वैभव को क्षति पहुंचाई गई, इसके मंदिर स्वरूप को बदलने के प्रयास हुए और धीरे-धीरे वह स्थान, जो कभी ज्ञान और भक्ति का केंद्र था, संघर्ष का प्रतीक बन गया। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि समय के प्रहारों के बावजूद इसकी आत्मा जीवित रही। इसके स्तंभों ने इतिहास को अपने भीतर संजोकर रखा। इसकी दीवारों ने युगों की कहानियों को सुरक्षित रखा और इसकी भूमि ने उस दिन की प्रतीक्षा कभी नहीं छोड़ी, जब फिर से यहां श्रद्धा का दीप प्रज्वलित होगा।

भोजशाला में प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव होता है मानो पत्थर भी बोल रहे हों। यहां की दीवारों पर अंकित संस्कृत और प्राकृत भाषा के शिलालेख केवल शब्द नहीं हैं, वे उस गौरवशाली युग के साक्षी हैं जब भारत विश्वगुरु कहलाता था। हर स्तंभ, हर नक्काशी और हर शिला अपने भीतर इतिहास का एक जीवंत अध्याय समेटे हुए है। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण किया गया और वर्षों से जमी धूल हटाई गई, तब अनेक ऐसे प्रमाण सामने आए जिन्होंने इस स्थान के प्राचीन मंदिर स्वरूप को और अधिक स्पष्ट किया।

भोजशाला का विशाल हवनकुंड भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे पूर्वज केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि विज्ञान और गणित में भी कितने उन्नत थे। यज्ञकुंड की संरचना, उसका आकार और उसकी तकनीक उस समय के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रमाण प्रस्तुत करती है। कल्पना कीजिए, जब वसंत पंचमी के अवसर पर सैकड़ों विद्वान, ऋषि और कवि यहां एकत्रित होते होंगे, तब यह परिसर कितना दिव्य और अलौकिक दिखाई देता होगा। वैदिक मंत्रों की ध्वनि, यज्ञ की पवित्र अग्नि और मां सरस्वती की स्तुति से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता होगा। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गईं, लेकिन श्रद्धा का दीप बुझा नहीं। भोजशाला को लेकर वर्षों तक संघर्ष चला। अनेक लोगों ने इसे केवल एक कानूनी मामला माना, लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह उनकी आस्था और सांस्कृतिक पहचान का विषय था। वे मानते थे कि जहां सदियों से मां वाग्देवी की उपासना होती रही हो, वहां की पवित्रता को स्वीकार किया जाना चाहिए। आखिरकार लंबी न्यायिक प्रक्रिया, ऐतिहासिक साक्ष्यों और पुरातात्विक अध्ययनों के बाद वह क्षण आया, जब इस स्थान के मंदिर स्वरूप को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया। यह केवल एक फैसला नहीं था, बल्कि उन अनगिनत लोगों की भावनाओं का सम्मान था जिन्होंने वर्षों तक धैर्य और विश्वास बनाए रखा।

आज जब भोजशाला में पूजा-अर्चना का मार्ग अधिक स्पष्ट हुआ है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो सात सौ वर्षों से प्रतीक्षारत इतिहास ने एक लंबी सांस लेकर राहत महसूस की हो। यह केवल धार की जीत नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की जीत है जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और सनातन परंपराओं को सम्मानपूर्वक संरक्षित देखना चाहते हैं। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि सत्य भले ही देर से सामने आए, लेकिन उसकी शक्ति कभी समाप्त नहीं होती।

भोजशाला की सबसे भावनात्मक स्मृति मां वाग्देवी की वह दुर्लभ प्रतिमा है, जिसे उन्नीसवीं शताब्दी में भारत से बाहर ले जाया गया था। श्रद्धालुओं के हृदय में आज भी यह आकांक्षा जीवित है कि एक दिन वह प्रतिमा पुनः अपनी जन्मभूमि पर लौटेगी। जिस प्रकार भगवान राम के मंदिर निर्माण का स्वप्न करोड़ों लोगों ने देखा और अंततः वह पूर्ण हुआ, उसी प्रकार अनेक भक्त यह विश्वास रखते हैं कि मां वाग्देवी की प्रतिमा भी एक दिन पुनः अपने धाम में प्रतिष्ठित होगी। वह क्षण केवल एक मूर्ति की वापसी नहीं होगी, बल्कि सांस्कृतिक स्वाभिमान और ऐतिहासिक न्याय का प्रतीक बनेगा।

भोजशाला की कथा हमें यह भी बताती है कि सभ्यताएं केवल इमारतों से नहीं बचतीं, बल्कि लोगों की आस्था से जीवित रहती हैं। यदि श्रद्धा समाप्त हो जाए तो सबसे भव्य मंदिर भी केवल पत्थरों का ढांचा बन जाता है, लेकिन यदि श्रद्धा जीवित रहे तो खंडहर भी तीर्थ बन जाते हैं। भोजशाला इसका जीवंत उदाहरण है। सदियों तक संघर्ष झेलने के बावजूद यह स्थान आज भी लोगों के हृदय में उतना ही पवित्र है जितना अपने स्वर्णिम काल में था। आज जब मां सरस्वती की आराधना करने वाले श्रद्धालु भोजशाला की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, तब ऐसा लगता है मानो इतिहास का एक अधूरा अध्याय पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। यह केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि भविष्य की प्रेरणा भी है। आने वाली पीढ़ियां जब भोजशाला की कथा पढ़ेंगी, तो उन्हें यह समझ आएगा कि अपनी संस्कृति, अपनी आस्था और अपनी विरासत के प्रति समर्पण कितना महत्वपूर्ण होता है।

सात सदियों की प्रतीक्षा, अनगिनत प्रार्थनाएं, असंख्य संघर्ष और अटूट विश्वास आज एक नए युग का संकेत दे रहे हैं। भोजशाला की पवित्र भूमि मानो फिर से मां वाग्देवी के स्वागत की तैयारी कर रही है। इसके स्तंभों में फिर से वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी है, इसकी दीवारें फिर से ज्ञान और भक्ति का संदेश दे रही हैं और इसकी पावन धरा फिर से उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रही है जब मां वाग्देवी अपने भक्तों के बीच उसी गौरव और वैभव के साथ विराजमान होंगी, जैसा उन्होंने एक हजार वर्ष पूर्व देखा था। उस दिन केवल धार नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष ज्ञान, संस्कृति और सनातन गौरव के इस पुनर्जागरण का उत्सव मनाएगा।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

आय से 70 फीसदी अधिक संपत्ति! रिटायर्ड इंजीनियर पर एसीबी का शिकंजा, नौ साल की जांच में खुले करोड़ों के खेल के संकेत

सूरत शहर में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच गुजरात एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसने सरकारी महकमों में हलचल मचा दी है। सूरत नगर निगम के तकनीकी विभाग में वर्षों तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके सेवानिवृत्त सहायक अभियंता रसिकभाई मगनभाई पटेल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों ने जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। एसीबी के अनुसार संबंधित अधिकारी ने अपनी ज्ञात और वैध आय की तुलना में लगभग 70 प्रतिशत अधिक संपत्ति एकत्रित की, जिसके बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विधिवत प्राथमिकी दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाया गया है।

यह मामला केवल एक अधिकारी की संदिग्ध संपत्ति तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे उन वित्तीय गतिविधियों की जांच के रूप में देखा जा रहा है जो लंबे समय तक सरकारी तंत्र की नजरों से दूर रहीं। एसीबी सूत्रों के अनुसार इस कार्रवाई से पहले कई स्तरों पर दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। अधिकारी की सेवा अवधि, वेतन, वैध आय के स्रोत, निवेश, चल-अचल संपत्तियों और खर्चों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। महीनों तक चली जांच के बाद जो निष्कर्ष सामने आए, उन्होंने जांच एजेंसी को कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध कराया।

जांच के केंद्र में रहे रसिकभाई मगनभाई पटेल सूरत नगर निगम में सहायक अभियंता (क्लास-3) के पद पर कार्यरत रहे थे। तकनीकी विभाग में कार्य करते हुए उन्होंने लंबे समय तक विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों से जुड़े दायित्व निभाए। सेवानिवृत्ति के बाद सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे इस अधिकारी के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई ने नगर निगम के प्रशासनिक और तकनीकी विभागों में व्यापक चर्चा को जन्म दे दिया है।

एसीबी द्वारा किए गए वित्तीय विश्लेषण में 1 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि को आधार बनाया गया। लगभग नौ वर्षों की इस अवधि में अधिकारी की आय, व्यय, निवेश और संपत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। जांच में सामने आया कि इस दौरान अर्जित संपत्तियों और उपलब्ध वैध आय के बीच बड़ा अंतर मौजूद था। एसीबी के अनुसार अधिकारी के पास लगभग 68.98 लाख रुपये मूल्य की ऐसी संपत्ति पाई गई, जिसका संतोषजनक और वैध स्रोत उपलब्ध नहीं कराया जा सका। प्रारंभिक गणना में यह राशि उनकी ज्ञात आय से 70.13 प्रतिशत अधिक पाई गई। भ्रष्टाचार के मामलों में आय से अधिक संपत्ति को सबसे गंभीर आरोपों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें यह जांचा जाता है कि किसी लोकसेवक ने अपनी सेवा अवधि के दौरान जितनी वैध आय अर्जित की, उसके मुकाबले उसके पास कितनी संपत्ति मौजूद है। यदि संपत्ति और आय के बीच असामान्य अंतर पाया जाता है और उसका वैध स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं होता, तो उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध माना जाता है। इसी आधार पर एसीबी ने इस मामले में आगे बढ़ते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।

सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान अधिकारी से जुड़े अनेक वित्तीय दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। बैंक खातों के लेन-देन, निवेश योजनाओं, अचल संपत्तियों के दस्तावेज, वाहन खरीद, विभिन्न प्रकार के वित्तीय व्यवहार और अन्य आर्थिक गतिविधियों को जांच के दायरे में रखा गया। इन सभी जानकारियों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट के बाद एसीबी ने कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया।

मामले में सूरत शहर एसीबी के पुलिस निरीक्षक के.जे. धडुक द्वारा आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि लोकसेवक के रूप में कार्य करते हुए अधिकारी ने अपने पद का लाभ उठाकर अनुचित आर्थिक संपत्ति अर्जित की। इसके आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। अब जांच एजेंसी इस मामले को केवल दर्ज एफआईआर तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि पूरे वित्तीय नेटवर्क की तह तक पहुंचने की तैयारी में है।

एसीबी के अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में जांच का दायरा और व्यापक किया जाएगा। अधिकारी की चल और अचल संपत्तियों की विस्तृत जांच की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न बैंक खातों, लॉकरों, निवेश योजनाओं और वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड का भी गहन परीक्षण होगा। जांच एजेंसी यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि कहीं किसी रिश्तेदार, परिचित या अन्य व्यक्ति के नाम पर संपत्तियां तो नहीं खरीदी गईं। यदि ऐसी कोई बेनामी संपत्ति सामने आती है तो जांच की दिशा और अधिक गंभीर हो सकती है।

सूत्रों का मानना है कि इस मामले में केवल घोषित संपत्तियों की जांच पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए उन सभी आर्थिक गतिविधियों का भी परीक्षण किया जाएगा, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध आरोपी अधिकारी से रहा है। एसीबी इस संभावना को भी खारिज नहीं कर रही कि जांच के दौरान अतिरिक्त वित्तीय अनियमितताएं या अन्य संदिग्ध लेन-देन सामने आ सकते हैं।

नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच यह कार्रवाई चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई है। तकनीकी विभाग में लंबे समय तक कार्य कर चुके अधिकारी के खिलाफ दर्ज मामला कई लोगों के लिए अप्रत्याशित माना जा रहा है। वहीं कुछ प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ी है और पुराने मामलों को भी गंभीरता से खंगाला जा रहा है। ऐसे में यह कार्रवाई भविष्य में अन्य मामलों की जांच के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत मानी जा रही है।

सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में आय से अधिक संपत्ति के मामलों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्योंकि ऐसे मामलों में केवल रिश्वत या किसी एक घटना की जांच नहीं होती, बल्कि पूरे सेवा काल के दौरान अर्जित संपत्ति और आर्थिक गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है। यही कारण है कि एसीबी की यह कार्रवाई सूरत ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात के प्रशासनिक तंत्र में चर्चा का विषय बन गई है।

फिलहाल एसीबी ने स्पष्ट किया है कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और सभी तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है। एजेंसी का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों और वित्तीय दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, वे इस मामले की दिशा और गंभीरता को तय करेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि रिटायर्ड सहायक अभियंता के खिलाफ दर्ज यह मामला भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखा जा रहा है और इसकी प्रगति पर अब प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ आम लोगों की भी नजर बनी हुई है।

नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम: कांकेर में प्रेशर कुकर बम बरामद, सुकमा के जंगलों से हथियारों का जखीरा मिला

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षाबलों की लगातार बढ़ती सक्रियता और प्रभावी अभियान का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। राज्य के कांकेर और सुकमा जिलों में सुरक्षा बलों ने अलग-अलग अभियानों के दौरान नक्सलियों की बड़ी साजिशों को विफल करते हुए विस्फोटक सामग्री, हथियारों और गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया है। इन सफलताओं को सुरक्षा एजेंसियां नक्सल विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण उपलब्धि मान रही हैं, क्योंकि बरामद सामग्री का उपयोग सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने तथा क्षेत्र में भय और अस्थिरता फैलाने के लिए किया जा सकता था।

कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने एक बड़ी अनहोनी को समय रहते टाल दिया। गट्टाकाल गांव के जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में चलाए गए सर्चिंग अभियान के दौरान तीन किलोग्राम वजनी प्रेशर कुकर आईईडी बरामद किया गया। यह विस्फोटक अत्यंत खतरनाक श्रेणी का माना जाता है और इसे इस प्रकार तैयार किया जाता है कि सुरक्षा बलों की आवाजाही के दौरान अधिकतम नुकसान पहुंचाया जा सके। यदि समय रहते इसकी पहचान नहीं होती तो यह किसी भी समय गंभीर हादसे का कारण बन सकता था।

जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद जिला पुलिस, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बम निरोधक दस्ते की संयुक्त टीम द्वारा व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। अभियान के दौरान जवानों ने जंगलों और पहाड़ी मार्गों की सावधानीपूर्वक जांच की। इसी दौरान संदिग्ध स्थान पर छिपाकर रखा गया प्रेशर कुकर आईईडी मिला। विस्फोटक मिलने की सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते ने मोर्चा संभाला और सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए उसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया।

अधिकारियों का कहना है कि नक्सली अक्सर सुरक्षाबलों की गतिविधियों को बाधित करने और जवानों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जंगलों, कच्चे रास्तों और पहाड़ी इलाकों में आईईडी लगाते हैं। ऐसे विस्फोटकों की पहचान करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि इन्हें आसपास के वातावरण में इस तरह छिपाया जाता है कि सामान्य नजर से पहचानना कठिन हो जाता है। कांकेर में मिली सफलता सुरक्षाबलों की सतर्कता और प्रशिक्षण का परिणाम मानी जा रही है।

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, कांकेर और उससे लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल के महीनों में नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अभियान और तेज किए गए हैं। लगातार चल रहे ऑपरेशन के कारण नक्सली संगठन दबाव में हैं और उनकी गतिविधियों पर अंकुश लग रहा है। यही वजह है कि वे अब आईईडी और अन्य विस्फोटक उपकरणों का सहारा लेकर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षाबलों की बढ़ती निगरानी और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से ऐसी साजिशों को लगातार विफल किया जा रहा है।

इसी बीच सुकमा जिले से भी सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जिले के कुम्माडोंग जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियारों और गोला-बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया। यह बरामदगी इस बात का संकेत मानी जा रही है कि नक्सली संगठन अब भी जंगलों के भीतर हथियारों के भंडारण और आपूर्ति की व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं।

पुलिस को अभियान के दौरान जंगल के भीतर संदिग्ध स्थानों पर छिपाकर रखी गई सामग्री मिली। तलाशी के दौरान एक इंसास रायफल, बड़ी मात्रा में कारतूस और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। बरामद हथियारों में एक इंसास रायफल के अलावा 49 इंसास कारतूस, 12 एसएलआर कारतूस, 27 नग .303 कारतूस, 16 नग 8 एमएम कारतूस, 7 मस्केट कारतूस और 7 नग 12 बोर कारतूस शामिल हैं। इसके अतिरिक्त तीन इंसास मैग्जीन, वायरलेस उपकरणों में प्रयुक्त होने वाले छह सेल, एक पोच और दो स्टील के डिब्बे भी बरामद किए गए।

सबसे महत्वपूर्ण बरामदगी विस्फोटक सामग्री से जुड़ी रही। पुलिस को दो बंडल कॉर्डेक्स वायर मिले, जिनकी कुल लंबाई लगभग 30 मीटर बताई जा रही है। कॉर्डेक्स वायर का उपयोग आमतौर पर विस्फोटक उपकरणों को सक्रिय करने और नियंत्रित विस्फोट करने के लिए किया जाता है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस सामग्री का उपयोग भविष्य में किसी बड़ी नक्सली कार्रवाई के लिए किया जा सकता था।

सुकमा लंबे समय से नक्सल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है। घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां और सीमित संचार सुविधाएं नक्सलियों को छिपने और अपनी गतिविधियां संचालित करने में मदद करती रही हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा बलों ने लगातार अभियान चलाकर नक्सलियों के कई ठिकानों को ध्वस्त किया है और उनके प्रभाव क्षेत्र को सीमित करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसके बावजूद समय-समय पर जंगलों से हथियार और विस्फोटक सामग्री की बरामदगी यह संकेत देती है कि नक्सली संगठन अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि हथियारों और गोला-बारूद की इस तरह की बरामदगी केवल सामग्री की जब्ती भर नहीं होती, बल्कि यह नक्सलियों की परिचालन क्षमता को भी कमजोर करती है। जब हथियार, विस्फोटक और संचार उपकरण सुरक्षा बलों के हाथ लग जाते हैं तो नक्सली संगठनों के लिए नई कार्रवाइयों की योजना बनाना और उन्हें अंजाम देना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार खुफिया जानकारी के आधार पर ऐसे अभियान संचालित कर रही हैं।

छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान अब बहुआयामी स्वरूप ले चुका है। एक ओर सुरक्षाबल जंगलों में सघन अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार जैसी विकास परियोजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सुरक्षा और विकास दोनों को साथ लेकर चलने से ही नक्सल समस्या का स्थायी समाधान संभव है।

कांकेर में बरामद प्रेशर कुकर आईईडी और सुकमा में मिले हथियारों के जखीरे ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि नक्सली संगठन अब भी हिंसक गतिविधियों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगातार सक्रिय और सतर्क सुरक्षाबलों के कारण उनकी योजनाएं बार-बार विफल हो रही हैं। हालिया कार्रवाई न केवल सुरक्षा बलों की सफलता का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में अभियान लगातार प्रभावी रूप से आगे बढ़ रहा है।

नासीरनगर की रहस्यमयी तोड़फोड़ ने खड़े किए कई सवाल मनपा की सफाई के बाद अब जांच के घेरे में पूरा घटनाक्रम

सूरत के कतारगाम क्षेत्र स्थित नासीरनगर में हुई कथित रहस्यमयी तोड़फोड़ की घटना ने पिछले कुछ दिनों से पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ यह मामला अब प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन चुका है। लगातार सामने आ रही खबरों, स्थानीय लोगों की शिकायतों और विभिन्न तरह की अटकलों के बीच अब सूरत महानगरपालिका प्रशासन ने पूरे मामले की आधिकारिक जांच कराने का निर्णय लिया है। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन राजन पटेल ने नगर आयुक्त को विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद यह मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है।

घटना को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर नासीरनगर क्षेत्र में हुई कथित तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार कौन है। स्थानीय लोगों के बीच इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर महानगरपालिका प्रशासन का दावा है कि उसकी टीम वहां किसी प्रकार की तोड़फोड़ करने नहीं गई थी। प्रशासन का कहना है कि संबंधित स्थान पर केवल सीमांकन यानी डिमार्केशन की प्रक्रिया पूरी की जानी थी और इसी उद्देश्य से अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। मामले ने तब और अधिक तूल पकड़ लिया जब विभिन्न माध्यमों में यह खबर सामने आने लगी कि सीमांकन की कार्रवाई के दौरान या उसके बाद क्षेत्र में तोड़फोड़ हुई। इन खबरों के बाद नगर निगम प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे। हालांकि अब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजन पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महानगरपालिका की ओर से किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की गई। उनके अनुसार, मनपा प्रशासन ने केवल निर्धारित प्रक्रिया के तहत भूमि और संपत्ति की सीमाओं का निर्धारण करने का कार्य किया था।

राजन पटेल का कहना है कि सीमांकन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, जिसे कई संवेदनशील मामलों में अपनाया जाता है। लेकिन यदि सीमांकन के बाद किसी प्रकार की तोड़फोड़ हुई है, तो यह जांच का विषय है कि उसे किसने अंजाम दिया और उसके पीछे क्या कारण थे।

पूरा मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जिस सीमांकन को आधार बनाकर कार्रवाई की गई, उसकी जड़ें कई दशक पुरानी बताई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार संबंधित सीमांकन रेखा वर्ष 1980 में निर्धारित की गई थी। अब प्रश्न यह उठ रहा है कि चार दशक से अधिक पुराने इस सीमांकन की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या उसी आधार पर हाल की कार्रवाई की गई थी। यदि ऐसा है तो उस प्रक्रिया में कौन-कौन से दस्तावेज और अभिलेखों का उपयोग किया गया। इन सभी पहलुओं की जांच अब प्रशासनिक स्तर पर की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करें। इसमें सीमांकन की प्रक्रिया, संबंधित विभागों की भूमिका, मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी, पुलिस की उपस्थिति तथा घटना के दौरान हुई गतिविधियों का विस्तृत विवरण शामिल किया जाएगा। माना जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वास्तविक स्थिति क्या थी और विवाद की वजह क्या बनी।

मामले में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र को लेकर भी उठ रहा है। नासीरनगर क्षेत्र कतारगाम जोन की सीमा में आता है, लेकिन सीमांकन की प्रक्रिया कथित रूप से सेंट्रल जोन से जुड़े अधिकारियों द्वारा की गई। इस मुद्दे पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर किसी दूसरे जोन के अधिकारियों की भूमिका वहां क्यों रही। इस संबंध में पूछे जाने पर राजन पटेल ने कहा कि कई बार ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां विभिन्न जोनों की सीमाएं आपस में मिलती हैं और संपत्ति की वास्तविक प्रशासनिक स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति बन सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चौराहों, सीमा क्षेत्रों और विभिन्न प्रशासनिक सीमाओं के संगम वाले स्थानों पर अधिकार क्षेत्र का निर्धारण हमेशा सरल नहीं होता। कई मामलों में दस्तावेजों और पुराने रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय लेने पड़ते हैं। यही कारण है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच आवश्यक मानी जा रही है। उनका कहना है कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि किस विभाग ने किस अधिकार के तहत कार्रवाई की और क्या सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था।

स्थानीय लोगों के बीच भी इस घटना को लेकर अनेक सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यदि प्रशासन केवल सीमांकन करने गया था, तो फिर तोड़फोड़ की खबरें कैसे सामने आईं। वहीं कुछ लोग यह जानना चाहते हैं कि यदि वास्तव में किसी ने अवैध रूप से तोड़फोड़ की है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। इन प्रश्नों का उत्तर अब जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

नगर निगम प्रशासन के लिए भी यह मामला प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। यदि जांच में यह साबित होता है कि महानगरपालिका की भूमिका केवल सीमांकन तक सीमित थी, तो प्रशासन को राहत मिल सकती है। दूसरी ओर यदि किसी स्तर पर प्रक्रियागत त्रुटि या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जा सकती है। यही कारण है कि प्रशासन इस मामले को अत्यंत गंभीरता से ले रहा है।

शहर के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी इस प्रकरण को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। विपक्षी दलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की नजर भी अब जांच प्रक्रिया पर टिकी हुई है। सभी पक्ष यह जानना चाहते हैं कि आखिर नासीरनगर में हुई कथित रहस्यमयी तोड़फोड़ की वास्तविक कहानी क्या है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं। फिलहाल नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले विस्तृत जांच पूरी की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों को तथ्य जुटाने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ हो जाएगी और यदि किसी व्यक्ति, विभाग या संस्था की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सूरत जैसे तेजी से विकसित हो रहे महानगर में भूमि, सीमांकन और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र से जुड़े मामले अक्सर संवेदनशील बन जाते हैं। ऐसे में नासीरनगर का यह प्रकरण केवल एक स्थानीय विवाद नहीं बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रक्रियागत स्पष्टता की भी परीक्षा माना जा रहा है।

बेटियों के सपनों को मिली नई उड़ान: एनटीपीसी झनोर के बालिका सशक्तिकरण मिशन का प्रेरणादायी समापन

सूरत जिले के झनोर स्थित एनटीपीसी परिसर में आयोजित बालिका सशक्तिकरण मिशन (जीईएम) 2026 का भव्य समापन उत्साह, आत्मविश्वास और नई उम्मीदों के साथ संपन्न हुआ। एक महीने तक चले इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम ने ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों की बालिकाओं को केवल शिक्षा और कौशल ही नहीं दिए, बल्कि उन्हें अपने सपनों को पहचानने और उन्हें साकार करने का आत्मविश्वास भी प्रदान किया। समापन समारोह में जब बालिकाओं ने मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया तो उपस्थित अभिभावकों, अधिकारियों और अतिथियों की आंखों में गर्व और प्रसन्नता स्पष्ट दिखाई दी।

कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। समारोह में क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (पश्चिम-I) एवं सीईओ (यूपीएल) ई. सत्य फणि कुमार तथा सखी महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती ई. सरोजा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उनके साथ एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, अभिभावक और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी मौजूद थे। पूरे परिसर में उत्सव जैसा वातावरण दिखाई दे रहा था, जहां हर ओर बालिकाओं की उपलब्धियों और उनके उज्ज्वल भविष्य की चर्चा हो रही थी। समारोह का सबसे आकर्षक हिस्सा बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम रहे। मंच पर आत्मविश्वास से भरी इन बेटियों ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक उन्मूलन और कचरा

प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रभावशाली नाट्य प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके अभिनय, संवाद और प्रस्तुति में केवल कला ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी दिखाई दी। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन प्रस्तुतियों का स्वागत किया। इसके अलावा बालिकाओं ने योग, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, देशभक्ति गीत, समूह नृत्य और विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से एक महीने के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण और अनुभवों का प्रदर्शन किया। आत्मरक्षा के प्रदर्शन ने विशेष रूप से सभी का ध्यान आकर्षित किया। छोटी-छोटी बालिकाओं को आत्मविश्वास के साथ अपनी सुरक्षा के गुरों का प्रदर्शन करते देख अभिभावकों के चेहरे गर्व से खिल उठे। यह केवल एक प्रस्तुति नहीं थी बल्कि समाज को यह संदेश भी था कि सशक्त बेटियां ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं। अपने संबोधन में ई. सत्य फणि कुमार ने कहा कि एनटीपीसी केवल देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सार्वजनिक उपक्रम नहीं है, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि 90,807 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एनटीपीसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इसी के साथ शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में भी निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बालिका सशक्तिकरण मिशन ऐसी ही एक पहल है, जिसका उद्देश्य समाज की बेटियों को अवसर, मार्गदर्शन और आत्मविश्वास प्रदान करना है। उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने वाली सभी बालिकाओं की सराहना करते हुए कहा कि मंच पर दिखाई देने वाला उनका आत्मविश्वास और ऊर्जा इस बात का प्रमाण है कि यदि अवसर और सही मार्गदर्शन मिले तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकती हैं। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए आयोजकों, प्रशिक्षकों और अभिभावकों को भी बधाई दी। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख, झनोर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तभी से संस्था को इन बालिकाओं की प्रतिभा और क्षमता पर पूरा विश्वास था। एक महीने की अवधि में जिस प्रकार इन बालिकाओं ने सीखने की ललक, अनुशासन और आत्मविश्वास का परिचय दिया, वह प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला उनके जीवन की एक मजबूत नींव है, जिस पर वे भविष्य की सफलताओं का निर्माण कर सकती हैं।

अदालत की शरण में पहुंचे खान सर, गिरफ्तारी की आशंका के बीच अग्रिम जमानत की मांग से बढ़ी कानूनी हलचल

देश के चर्चित शिक्षक, यूट्यूबर और लाखों विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय नाम बन चुके खान सर एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई शैक्षणिक वीडियो, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी या सामाजिक मुद्दों पर उनकी टिप्पणी नहीं, बल्कि उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामला है। संभावित गिरफ्तारी की आशंका के बीच खान सर ने पटना सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। उनके साथ उनके दोनों निजी सुरक्षा कर्मियों ने भी अदालत से राहत की मांग की है। इस घटनाक्रम के बाद पूरे बिहार में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है और अब सभी की नजरें अदालत के अगले फैसले पर टिक गई हैं। शनिवार को जैसे ही यह जानकारी सामने आई कि खान सर पटना सिविल कोर्ट पहुंचे हैं, कोर्ट परिसर में असामान्य हलचल देखने को मिली। बड़ी संख्या में उनके समर्थक, छात्र और मीडिया प्रतिनिधि अदालत परिसर में पहुंच गए। देखते ही देखते अदालत के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई छात्र अपने प्रिय शिक्षक की एक झलक पाने के लिए घंटों तक परिसर में मौजूद रहे, जबकि मीडिया कर्मी मामले से जुड़ी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे।

जानकारी के अनुसार, खान सर की ओर से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुराग वर्मा की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि वे जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं और कानून की प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। साथ ही यह भी आग्रह किया गया है कि मामले की जांच पूरी होने तक उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपना पक्ष रख सकें।

यह मामला पटना के कदमकुआं थाना में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा दर्ज मामले में खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह मामला उनके निजी सुरक्षा कर्मियों से जुड़े कुछ कथित बयानों और घटनाक्रमों के आधार पर दर्ज किया गया है। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है। खान सर के साथ उनके दोनों निजी सुरक्षा कर्मियों ने भी अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उनका कहना है कि वे भी जांच में सहयोग करने को तैयार हैं और उन्हें आशंका है कि पुलिस कार्रवाई के तहत उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी कारण उन्होंने अदालत से कानूनी संरक्षण की मांग की है।

इस पूरे मामले ने इसलिए भी अधिक ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि खान सर केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि डिजिटल शिक्षा जगत का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले उनके वीडियो देशभर में करोड़ों बार देखे जाते रहे हैं। बिहार सहित देश के अनेक राज्यों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी उन्हें पसंद करते हैं और उनकी शिक्षण शैली को सरल एवं प्रभावी मानते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अग्रिम जमानत का उद्देश्य किसी व्यक्ति को जांच से बचाना नहीं होता, बल्कि उसे अनावश्यक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करना होता है। यदि अदालत को यह प्रतीत होता है कि आरोपी जांच में सहयोग करेगा और उसके फरार होने या साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना नहीं है, तो अदालत कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत प्रदान कर सकती है। हालांकि यह पूरी तरह अदालत के विवेक और मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

दूसरी ओर अभियोजन पक्ष भी अदालत में अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि पुलिस जांच से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी। अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी।

मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। खान सर के समर्थक उनके पक्ष में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जबकि कई लोग मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को लेकर बहस का दौर जारी है और लोग अदालत के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।

फिलहाल यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और जांच जारी है। ऐसे में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में शामिल खान सर का अदालत पहुंचना और अग्रिम जमानत की मांग करना इस प्रकरण को और अधिक चर्चा के केंद्र में ले आया है।

अब सबकी निगाहें पटना की अदालत पर टिकी हुई हैं, जहां यह तय होगा कि खान सर और उनके सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तारी से राहत मिलती है या नहीं। अदालत का निर्णय न केवल इस मामले की आगे की दिशा तय करेगा, बल्कि आने वाले दिनों में इससे जुड़ी कानूनी और सामाजिक बहस को भी प्रभावित कर सकता है। फिलहाल छात्रों, समर्थकों, कानूनी विशेषज्ञों और आम लोगों के बीच एक ही सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है—क्या खान सर को अदालत से राहत मिलेगी या उन्हें जांच प्रक्रिया का सामना किसी अन्य परिस्थिति में करना पड़ेगा। इसका उत्तर अब न्यायालय के आगामी आदेश में ही सामने आएगा।

सॉइल हेल्थ कार्ड : भूमि का एक्स-रे

गुजरात में पिछले दो दशकों में 2.23 करोड़ से अधिक किसानों ने निःशुल्क सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए

▸▸ चालू वर्ष में गुजरात में 2.18 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड का लक्ष्य

▸▸ सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रभाव : भावनगर के किसान श्री हिरेनभाई का उर्वरकों का उपयोग 370 किलोग्राम घटा; फिर भी उत्पादन 40 प्रतिशत बढ़ा

▸▸ सॉइल हेल्थ कार्ड की सिफारिशों का पालन करने से सुरेंद्रनगर के श्री अरुणभाई की जमीन अधिक उपजाऊ बनी

▸▸ गुजरात में सॉइल टेस्टिंग के लिए 22 प्रयोगशालाएं कार्यरत गुजरात में सॉइल टेस्टिंग के लिए 22 प्रयोगशालाएं कार्यरत : 12 तत्वों का होता है परीक्षण

गांधीनगर : भावनगर के गारियाधार गांव के किसान श्री हिरेनभाई नाकराणी के पास 12 बीघा जमीन है। वे वर्षों से कपास की खेती कर रहे हैं। कपास की फसल में वे हर वर्ष 400 किलोग्राम यूरिया और 290 किलोग्राम डीएपी का उपयोग करते थे। इससे उनकी खेती की लागत अधिक रहती थी और उत्पादन केवल 200 मन तक ही सीमित रहता था।

श्री हिरेनभाई ने ग्रामसेवक की सलाह पर भावनगर की सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशाला में अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई। मिट्टी परीक्षण के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड में दी गई सिफारिशों के अनुसार उन्होंने अपने खेत में यूरिया का उपयोग 180 किलोग्राम तथा डीएपी का उपयोग 140 किलोग्राम कर दिया। इस प्रकार 220 किलोग्राम यूरिया और 150 किलोग्राम डीएपी की बचत हुई, जिससे खेती की लागत लगभग आधी हो गई। साथ ही वैज्ञानिक सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से उत्पादन भी 200 मन से बढ़कर 281 मन हो गया।

श्री हिरेनभाई कहते हैं, "पहले हम अंधेरे में तीर चलाते थे। अधिक उत्पादन पाने के लिए अंधाधुंध उर्वरकों की बोरियां खेत में डालते रहते थे और जमीन को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन जब हमारे हाथ में सॉइल हेल्थ कार्ड आया, तब पता चला कि यह तो हमारी जमीन की एक्स-रे रिपोर्ट है। अब हम सिफारिश के अनुसार जितनी आवश्यकता होती है, उतना ही उर्वरक उपयोग करते हैं। इससे लागत आधी हो गई है और फसल भरपूर होने लगी है।"

भावनगर के हिरेनभाई की तरह राज्य के लाखों किसानों ने पिछले दो दशकों में 2.23 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड निःशुल्क बनवाए हैं। चालू वर्ष में भी राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से जमीन के 2.18 लाख नमूनों की जांच कर सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सॉइल हेल्थ कार्ड से खेती की लागत कम होने और आय बढ़ने के अलावा भूमि अधिक स्वस्थ और उपजाऊ भी बनती है। सुरेंद्रनगर जिले के लिखतर तहसील के किसान श्री अरुणभाई मेणिया ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, "सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण मेरी जमीन की जांच हुई और मैंने जैविक खाद का उपयोग शुरू किया। इसके परिणामस्वरूप मेरे खेत की कठोर हो चुकी जमीन नरम हो गई और मिट्टी की नमी बनाए रखने की क्षमता में वृद्धि हुई।" इस प्रकार श्री हिरेनभाई और श्री अरुणभाई जैसे अनेक किसानों की खेती में सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से बड़ा परिवर्तन आया है।

सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है और किसान को इससे क्या लाभ होता है?

गांधीनगर सॉइल टेस्टिंग लैब की सहायक कृषि निदेशक श्रीमती पारुल परमार बताती हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड में मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश जैसे 6 प्रमुख तत्वों तथा कॉपर, आयरन, जिंक और मैंगनीज जैसे 6 सूक्ष्म तत्वों सहित कुल 12 मानकों का पृथ्थकरण किया जाता है। इस पृथ्थकरण के आधार पर किसानों को उर्वरकों के उपयोग संबंधी सिफारिशें दी जाती हैं। इन सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करने से अनावश्यक खर्च रुकता है और जमीन भी स्वस्थ बनी रहती है। गुजरात में वर्तमान में मिट्टी परीक्षण के लिए 21 प्रयोगशालाएं और एक सूक्ष्म तत्व प्रयोगशाला कार्यरत हैं।

सॉइल टेस्टिंग के लिए मिट्टी का नमूना कैसे लें?

सहायक कृषि निदेशक श्री सापरिया बताते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड से सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए निर्धारित पद्धति से मिट्टी का नमूना लेना अत्यंत आवश्यक है। खेत की मेड़, रास्ते, पानी भरने वाले क्षेत्र अथवा पेड़ों की छाया से दूर रहकर एक हेक्टेयर क्षेत्र में 10 से 20 अलग-अलग स्थानों से जिग-जैग पद्धति द्वारा 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदकर नमूना लेना चाहिए। एकत्रित मिट्टी को अच्छी तरह मिलाकर चार भागों में बांटना चाहिए और उनमें से दो भाग अलग कर देने चाहिए। इसके बाद शेष मिट्टी को पुनः मिलाकर उसमें से 500 ग्राम मिट्टी का नमूना परीक्षण के लिए भेजना चाहिए। इस प्रक्रिया से परीक्षण का परिणाम अधिक सटीक प्राप्त होता है।

सॉइल हेल्थ कार्ड की अवधारणा और विस्तार

वर्ष 2003-04 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देखा कि राज्य में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण धरती माता अपनी उर्वरता खो रही है। उन्होंने विचार किया कि यदि मनुष्य के शरीर की जांच के लिए प्रयोगशाला परीक्षण किए जा सकते हैं, तो धरती माता के स्वास्थ्य की जांच क्यों नहीं की जा सकती? इसी विचार से 'सॉइल हेल्थ कार्ड योजना' का जन्म हुआ।

गुजरात ने देश में सबसे पहले यह प्रयोग किया और इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी ने इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया। आज यह उनके कार्यकाल की ऐसी मूक क्रांति मानी जाती है, जिसने देश के अनेक किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है।

देश के किसी छोटे से गांव में बैठा किसान जब विज्ञान और खेती के इस समन्वय की बात करता है, तब यह समझ में आता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' का जो नारा वर्षों पहले गुजरात की धरती से गूंजा था, वह आज देश के करोड़ों किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाला महामंत्र बन चुका है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शासनकाल के वर्ष इस बात का प्रमाण हैं कि वास्तविक क्रांति वही होती है, जो जमीन से जुड़ी होती है। सॉइल हेल्थ कार्ड आज भारतीय कृषि क्षेत्र का एक सुरक्षा कवच बन चुका है। जब देश की भूमि स्वस्थ होती है, तभी किसान समृद्ध बनता है और यही समृद्धि 'आत्मनिर्भर भारत' की वास्तविक नींव है।

12 वर्षों का लंबा संघर्ष और पिता की आंखों में खुशी के आंसू : आगरा के मासूम बच्चे के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल बना 'देवदूत'

जहां सारी आशाएं टूट गई थीं, वहां गुजरात सरकार ने दिया सहारा उत्तर प्रदेश के गरीब किसान के बेटे की जटिल सर्जरी सफल

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया के नेतृत्व में गुजरात सरकार की प्रजानोन्मुखी स्वास्थ्य नीति और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण एक बार फिर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में देखने को मिला है। सिविल अस्पताल के बाल रोग (पीडियाट्रिक सर्जरी) विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने एक अत्यंत जटिल और दुर्लभ सर्जरी कर उत्तर प्रदेश के एक साधारण किसान परिवार के 12 वर्षीय बालक को नया जीवन दिया है। मात्र 25 दिन की नवजात अवस्था की उम्र में कुत्ते के हमले का शिकार बने इस बच्चे के जननांग का 12 वर्ष बाद सफल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी द्वारा फिर से सामान्य किया गया।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री प्रफुल पानशेरिया ने भी इस अनूठी उपलब्धि के लिए सिविल की पूरी मेडिकल टीम को बधाई देते हुए कहा कि गुजरात सरकार के आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण ही आज देश और दुनिया भर के मरीजों को ऐसी जटिल चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध हो रही हैं।

उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी सुरेश यादव का पुत्र जब मात्र 25 दिन का था, तब एक कुत्ते ने उस पर हमला कर उसके बाह्य जननांग को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था। जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती गई, उसकी परेशानियां भी असहनीय होती गईं। बच्चे को पेशाब करने में अत्यंत कठिनाई होती थी और उसके जननांग का विकास पूरी तरह रुक गया था। कई स्थानों पर उपचार कराने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। अंततः यह परिवार उम्मीद लेकर अहमदाबाद सिविल अस्पताल पहुंचा।

बच्चे को 1 मई, 2026 को भर्ती किए जाने के बाद सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक एवं बाल रोग सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉ. राकेश जोशी ने जांच की। जांच में पता चला कि बच्चे के दोनों वृषण (टेस्टिस) अनुपस्थित थे, लिंग अंदर की ओर दब गया था तथा मूत्रमार्ग का छिद्र अत्यंत संकरा हो गया था।

सभी चुनौतियों के बावजूद 6 मई, 2026 को डॉ. राकेश जोशी और प्रोफेसर डॉ. जयश्री रामजी के नेतृत्व में तथा एनेस्थीसिया विभाग की डॉ. मृणालिनी और उनकी टीम की देखरेख में जटिल जननांग पुनर्निर्माण सर्जरी (जेनिटल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी) के साथ डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी सफलतापूर्वक की गई।

14 दिनों की सघन देखरेख के बाद जब कैथेटर (पेशाब की नली) हटाई गई, तब बच्चे ने बिना किसी पीड़ा के सामान्य रूप से पेशाब किया। वर्षों बाद अपने बेटे को सामान्य स्थिति में देखकर पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने गुजरात सरकार तथा सिविल अस्पताल के चिकित्सकों का हृदय से आभार व्यक्त किया।

मंडलीय रेलवे चिकित्सालय, भावनगर में विश्व पर्यावरण दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन एवं रेलवे बोर्ड के पर्यावरण संरक्षण संबंधी निर्देशों के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिनांक 05 जून 2026 को मंडलीय रेलवे चिकित्सालय, भावनगर (DRH/BVP) के उद्यान परिसर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु विविध कार्यक्रमों का आयोजन बड़े उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सकों एवं कर्मचारियों में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण तथा स्वच्छता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को सुदृढ़ करना था।

कार्यक्रम का शुभारंभ सभी उपस्थित कर्मचारियों एवं चिकित्सकों द्वारा पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक शपथ ग्रहण कर किया गया। इसके पश्चात प्रतिभागियों को चार टीमों – टीम A, टीम B, टीम C एवं टीम D – में विभाजित कर पर्यावरण विषयक विभिन्न रोचक एवं ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के अंतर्गत "Carry Water Carefully Challenge", "Waste Segregation Competition", "Green Treasure Hunt" तथा "Environment Puzzle Challenge" जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जल संरक्षण, कचरा पृथक्करण, पर्यावरणीय जागरूकता, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा दिया गया। सभी प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह, खेल भावना एवं टीमवर्क का परिचय देते हुए प्रतियोगिताओं में सक्रिय सहभागिता निभाई तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण संदेशों को व्यवहारिक रूप से आत्मसात किया।

सभी प्रतियोगिताओं के अंकों के समेकित मूल्यांकन के उपरांत डॉ. मोनिका के नेतृत्व वाली टीम D ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा "ग्रीन चैंपियन–2026" का खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को कार्यक्रम के समापन अवसर पर सम्मानित किया गया। यह आयोजन न केवल मनोरंजन एवं सहभागिता का माध्यम बना, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व एवं जन-जागरूकता को सशक्त बनाने में भी सफल रहा। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन एवं समूह छायाचित्र के साथ हुआ।

850 ग्राम का खेल खत्म: खाद्य तेल पैकेजिंग में बड़ा बदलाव, अब तय मानकों में ही बिकेगा तेल

देशभर के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की पैकेजिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बाजार में लंबे समय से चल रही भ्रामक पैकेजिंग व्यवस्था पर सख्ती दिखाई है। अब खाद्य तेल कंपनियां अपनी सुविधा के अनुसार 850 ग्राम, 900 ग्राम या 910 ग्राम जैसे असामान्य पैक आकारों में उत्पाद बेचकर उपभोक्ताओं को भ्रमित नहीं कर सकेंगी। सरकार ने खाद्य तेलों की पैकेजिंग के लिए स्पष्ट मानक तय कर दिए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को कीमतों की तुलना करने में आसानी होगी और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी।

पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ताओं ने अक्सर यह अनुभव किया कि खाद्य तेल के पैकेटों का आकार धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, जबकि कीमतों में अपेक्षाकृत अधिक बदलाव दिखाई नहीं देता था। कई कंपनियों ने एक लीटर या एक किलोग्राम के पारंपरिक पैक की जगह 850 ग्राम, 900 ग्राम, 910 ग्राम या अन्य असामान्य मात्रा वाले पैक बाजार में उतारने शुरू कर दिए थे। पहली नजर में उपभोक्ता को यह पैकेट सामान्य आकार का प्रतीत होता था, लेकिन वास्तविक मात्रा कम होने के कारण प्रति किलोग्राम या प्रति लीटर कीमत अधिक पड़ती थी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खाद्य तेलों की पैकेजिंग के लिए नए मानक लागू करने का फैसला किया है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार अब खाद्य तेल केवल निर्धारित मानक पैक आकारों में ही बेचे जा सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना और मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। नए नियमों के तहत खाद्य तेलों की बिक्री 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम के मानक पैक आकारों में की जाएगी। इन मानकों का पालन देशभर में खाद्य तेल निर्माताओं, पैकर्स, वितरकों और आयातकों को करना होगा। इससे बाजार में उपलब्ध उत्पादों के आकार में एकरूपता आएगी और उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न ब्रांडों की कीमतों की तुलना करना कहीं अधिक आसान हो जाएगा। सरकार द्वारा लागू किए गए ये नियम केवल किसी एक प्रकार के तेल तक सीमित नहीं हैं। इनका दायरा खाद्य तेलों की लगभग सभी प्रमुख श्रेणियों को कवर करता है। पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सूरजमुखी तेल, सरसों तेल, मूंगफली तेल, तिल का तेल, राइस ब्रान ऑयल, कॉटनसीड ऑयल और कॉर्न ऑयल सहित इनके मिश्रित उत्पादों पर भी यह नियम लागू होगा। इससे पूरे खाद्य तेल उद्योग में एक समान मानक स्थापित होने की उम्मीद है। सरकार ने उद्योग जगत को नए नियमों के अनुपालन के लिए तीन महीने का समय भी दिया है। इस अवधि के दौरान कंपनियां अपनी पैकेजिंग, लेबलिंग और वितरण व्यवस्था में आवश्यक बदलाव कर सकेंगी। इसके बाद निर्धारित मानकों के विपरीत पैकेजिंग करने वाली कंपनियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। उद्योग जगत को पर्याप्त समय दिए जाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बदलाव सुचारू रूप से लागू हो और बाजार में किसी प्रकार की आपूर्ति संबंधी समस्या उत्पन्न न हो। नए नियमों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यदि किसी पैकेट पर तेल की मात्रा लीटर या मिलीलीटर में दर्शाई जाती है, तो उसके समतुल्य वजन का उल्लेख भी अनिवार्य रूप से करना होगा।

विश्व पर्यावरण दिवस पर साबरमती लोकोशेड एवं रेलवे हॉस्पिटल में व्यापक वृक्षारोपण

"एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत विभिन्न रेल परिसरों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन एवं हरित भविष्य के संकल्प के साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पौधारोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया।

साबरमती स्थित लोकोमोटिव शेड में वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (Sr. DME) श्री एस. पी. गुप्ता के मार्गदर्शन में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सुपरवाइजरों, तकनीकी कर्मचारियों एवं अन्य रेलकर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण संतुलन के लिए ही नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के स्वस्थ जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। सभी कर्मचारियों ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण का संकल्प लिया।

इसी क्रम में मंडल रेलवे हॉस्पिटल, साबरमती में अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज देव के नेतृत्व में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण किया गया। डॉ. देव ने कहा कि स्वच्छ वायु और हरित वातावरण अच्छे स्वास्थ्य की आधारशिला हैं तथा अस्पताल परिसर को और अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए ऐसे प्रयास भविष्य में भी जारी रहेंगे।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंडल के विभिन्न स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों तथा ट्रैक किनारे भी नीम, पीपल, बरगद, गुलमोहर एवं जामुन जैसे स्वदेशी पौधों का रोपण किया गया। अहमदाबाद मंडल भारतीय रेलवे के "नेट जीरो कार्बन एमिशन" लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत एवं हरित विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

पश्चिम रेलवे चलाएगी असारवा और आगरा केंट के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए असारवा और आगरा केंट के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 01909/01910 असारवा-आगरा केंट स्पेशल (कुल 16 ट्रिप)

ट्रेन संख्या 01909 असारवा-आगरा केंट स्पेशल 09 जून से 28 जुलाई 2026 तक प्रति मंगलवार असारवा से प्रतिदिन 15.00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 07.45 बजे आगरा केंट पहुंचेगी। इस तरह ट्रेन संख्या 01910 आगरा केंट-असारवा स्पेशल 08 जून से 27 जुलाई 2026 तक प्रति सोमवार आगरा केंट से प्रतिदिन 18.10 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 11.10 बजे असारवा पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन हिम्मतनगर, शामलाजी रोड, डूंगरपुर, सेमारी, जावर, उदयपुर सिटी, राणा प्रताप नगर, मावली, चंदेरिया, मांडल गढ़, बूंदी, केशोराय पाटन, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, रूपबास और फतेहपुर सीकरी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन सं. 01909 की बुकिंग 07 जून 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति कार्य के निरीक्षण के लिए स्थलों का दौरा किया

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को राज्य में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति कार्य के निरीक्षण के लिए स्थलों का दौरा किया। महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में अहमदाबाद से गांधीनगर तक कुल 37.60 किलोमीटर लंबाई में रिवरफ्रंट डेवलपमेंट का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तीनों चरणों (फेज) के कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने परियोजनाओं के कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया।

मुख्यमंत्री ने गांधीनगर के निकट निर्माणाधीन गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (जीटीयू) के नए कैम्पस के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया।

वहीं दूसरी तरफ कराई स्थित नर्मदा नहर से पीडीईयू, पीडीईयू से शाहपुर ब्रिज तथा शाहपुर ब्रिज से चिलोडा ब्रिज तक कुल 17.20 किलोमीटर लंबाई के कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा प्रगति पर हैं।

इस परियोजना के पूर्ण होने से गांधीनगर महानगर एवं गिफ्ट सिटी क्षेत्र के नागरिकों को एक आकर्षक पर्यटन स्थल उपलब्ध होगा। साथ ही; रोड कनेक्टिविटी से संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं भी और अधिक सुदृढ़ होंगी। परियोजना के तीनों फेज का कार्य वर्ष 2027 के अंत तक पूर्ण होने तथा लेकावाडा में 100 एकड़ भूमि पर निर्मित हो रहे जीटीयू भवन का कार्य आगामी अक्टूबर तक पूरा होने का अनुमान है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को जल संसाधन एवं जल आपूर्ति राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठौड़ तथा वरिष्ठ सचिवों ने आवश्यक पूरक जानकारी प्रदान की।